

भारत सरकार  
सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5293

जिसका उत्तर 03.04.2025 को दिया जाना है

**इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सॉल्यूशंस**

5293. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी:

क्या सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हाल ही में शुरू किए गए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सॉल्यूशंस का व्यौरा क्या है और इसकी तैनाती की स्थिति क्या है;
- (ख) इसका अभीष्ट प्रभाव क्या है; और
- (ग) यातायात दक्षता प्राप्त करने के लिए इस संबंध में अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) 1. सरकार ने 23.06.2022 को "देश में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में कुशल (इंटेलिजेंट) परिवहन प्रणाली (आईटीएस) को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय सहायता योजना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस योजना के तहत केंद्र का हिस्सा 175 करोड़ रुपये है और यह योजना 4 वर्ष वित वर्ष 2022-26 के लिए है। इस योजना के तहत परिवहन निकायों (राज्य परिवहन उपक्रमों/राज्य परिवहन निगमों/सार्वजनिक निजी भागीदारी और राज्य सरकार निकायों) को परिचालन, यात्रा समय, सुगमता आदि में सुधार के लिए सार्वजनिक परिवहन में आईटीएस विकसित करने और लागू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

2. इस योजना में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के नवीन उपयोग के माध्यम से आईटीएस की तैनाती की परिकल्पना की गई है। इस योजना में मुख्य रूप से 4 आईटीएस घटकों अर्थात् हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वेब और मोबाइल आधारित अनुप्रयोग तथा 2 वर्षों के लिए संचालन एवं अनुरक्षण को शामिल किया गया है।

3. कुल 9 एसटीयू (अर्थात् तेलंगाना-टीएसआरटीसी, कर्नाटक-केएसआरटीसी, गुजरात-जीएसआरटीसी, झोपाल-बीसीएलएल, सिक्किम-एसएनटी, असम-एएसटीसी, मीरा भैन्दर-एमबीएमटीयू, पुडुचेरी-पीआरटीसी और नवी मुंबई-एनएमएमटी) के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनकी कुल राशि 185.96 करोड़ रुपये (स्वीकृत केंद्रीय हिस्सा 130.17 करोड़ रुपये) है।

4. इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली (एटीएमएस) को लागू करने के लिए 10.10.23 को नीति परिपत्र संख्या 11.53 जारी किया है। नीति में सम्पूर्ण राजमार्ग की निगरानी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित वीडियो घटना पहचान एवं प्रवर्तन प्रणाली शामिल है, जिससे पुलिस और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा ई-चालान तैयार करना भी सरल हो जाएगा। नीति दस्तावेज का उद्देश्य दुर्घटनाओं, यातायात उल्लंघनों और घटना प्रतिक्रिया समय को कम करना है। एनएचएआई ने राजमार्गों और एक्सप्रेसवे में चरणबद्ध तरीके से एटीएमएस समाधान को लागू करने की परिकल्पना की है। उक्त एटीएमएस नीति को क्रियान्वित करने के लिए, एनएचएआई इसे राजमार्ग परियोजनाओं के भाग के रूप में बना रहा है तथा एटीएमएस को द्वारका एक्सप्रेसवे, बैंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेसवे आदि जैसी एकल (स्टैंडअलोन) परियोजनाओं के रूप में भी क्रियान्वित कर रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त, एनएचएआई ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, ट्रांस-हरियाणा एक्सप्रेसवे, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे आदि राजमार्ग परियोजनाओं के हिस्से के रूप में एटीएमएस को क्रियान्वित किया है/कर रहा है।

5. इस प्रयोजनार्थ चिन्हित मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण और उन्नयन 2 लेन पेंड शोल्डर/4-लेन/6-लेन में किया जा रहा है और यातायात दक्षता, बेहतर गतिशीलता/यात्रा में आसानी और भीड़भाड़ को कम करने के लिए कई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं।

\*\*\*\*\*

